

Date : 10 मार्च 2023

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)

हाल ही में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) अपने कामकाज में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही है।

NAAC के बारे में:

संस्थान में अपनाई गई छात्र केंद्रित पद्धतियाँ

शिक्षण और सीखने के लिए सुविधाएं

पुस्तकालय सुविधाएं

आईसीटी समर्थित उपकरण और ऑनलाइन संसाधन

शैक्षणिक प्रशासनिक कार्य

सामाजिक मुद्दों पर छात्रों को संवेदित करने के लिए विस्तार गतिविधियाँ

पीए के लिए 10 गुणवत्ता मानदंड

विकेंद्रीकरण और सहभागी प्रबंधन

छात्रों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करना

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली (आईक्यूएस) की कार्यप्रणाली

संस्थागत विकास योजनाएं (आईडीपी)

- 1994 में स्थापित, यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

कार्य:

- एक बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, यह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण जैसे मापदंडों के आधार पर A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।

NAAC पर आरोप:

- NAAC की कार्यकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया कि कदाचार के कारण कुछ संस्थानों को संदिग्ध ग्रेड दिए जा रहे हैं। एक जांच आयोग ने आईटी प्रणाली और मूल्यांकनकर्ताओं के आवंटन में अनियमितताएं पाईं।
- जांच में यह भी बताया गया है कि लगभग 4,000 मूल्यांकनकर्ताओं के पूल से लगभग 70% विशेषज्ञों को साइट का दौरा करने का कोई अवसर नहीं मिला है।
- जनवरी 2023 तक, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2020-2021 में 1,113 विश्वविद्यालयों और 43,796 कॉलेजों में से केवल 418 विश्वविद्यालय और 9,062 कॉलेज एनएएसी से मान्यता प्राप्त थे।

भारत में वर्तमान प्रत्यायन मानदंड

मानदंड:

- वर्तमान में, केवल वही संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहाँ से छात्रों के कम से कम दो बैच स्नातक हैं, मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 5 वर्षों के लिए वैध है।

प्रत्यायन अधिदेश:

- NAAC द्वारा प्रत्यायन स्वैच्छिक है, हालांकि यूजीसी द्वारा कई परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें संस्थानों से मूल्यांकन कराने का आग्रह किया गया है।

मान्यता में तेजी लाने के प्रयास:

- यूजीसी ने मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को सलाह देने के लिए 2019 में 'परामर्श' नाम से एक योजना शुरू की।
- नैक ने एक साल पुराने संस्थानों को प्रोविजनल एक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेज (पीएसी) जारी करने की संभावना तलाशी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने अगले 15 वर्षों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्चतम स्तर की मान्यता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में अन्य चुनौतियाँ:

- **सीमित पहुंच:** उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, सीमांत समुदायों के कई छात्र अभी भी प्रवेश के लिए बाधाओं का सामना करते हैं, जिसमें वित्तीय बाधाएं और शैक्षिक अवसरों की कमी शामिल है।
 - विशेष रूप से, विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में छात्रों की संख्या 2020-21 में 2019-20 में 92,831 से घटकर 79,035 हो गई।
- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और समर्थन प्रणालियों की कमी सहित महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2020-2021 के अनुसार, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में महिला नामांकन 2020-21 में कुल नामांकन का 49% था।
- **रोजगार के मुद्दे:** बड़ी संख्या में स्नातक होने के बावजूद, भारत में कई छात्र व्यावहारिक कौशल और उद्योग-संबंधित शिक्षा की कमी के कारण रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं।
 - इसके अलावा, भारत अनुसंधान उत्पादन के मामले में कई अन्य देशों से पीछे है, और कई उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध संस्कृति की कमी है।

निष्कर्ष

- **डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा:** डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा को अधिक सुलभ, लागत प्रभावी और कुशल बनाने में मदद कर सकता है।
- संस्थानों को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए और नई तकनीकों के अनुकूल होने के लिए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- प्रत्यायन में वृद्धि: प्रत्यायन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मान्यता प्रक्रिया निष्पक्ष और भ्रष्टाचार से मुक्त हो।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- संस्थानों को ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए विदेशी संस्थानों के साथ भागीदारी करनी चाहिए।



Ravi Singh